न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 28/23 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2023/76

उनवान

1. महावीर सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह
2. राजवीर सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह
3. भीम सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह
4. रूप सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह

जाति गुर्जर निवासी कारौठ तहसील व जिला भरतपुर।

5. कशमीरा पुत्री बृजेन्द्र सिंह पत्नी करन सिंह जाति गुर्जर निवासी हाल ग्राम बिलौठी तहसील व जिला भरतपुर।
6. बिल्ला पुत्री बृजेन्द्र सिंह पत्नी सुक्खा जाति गुर्जर निवासी सूपा तहसील बयाना जिला भरतपुर।
7. रामरतन पुत्र महाराज सिंह
8. रवि पुत्र रामरतन
9. सौरभ पुत्र रामरतन

जाति गुर्जर निवासी रसीलपुर तहसील खेरागढ जिला आगरा।

10. आशु पुत्र रामरतन नाबालिग सरपरस्त पिता रामरतन जाति गुर्जर निवासी रसीलपुर तहसील खैरागढ जिला आगरा।
11. भौती पत्नी स्व0 श्री बृजेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कारौठ तहसील व जिला भरतपुर। (मृतक)

.....अपीलांट।

बनाम

1. भंवर सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम कारौठ तहसील व जिला भरतपुर।
2. हजारीलाल पुत्र भूदर जाति जाटव निवासी जाटौली रथभान तहसील व जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 सहायक कलक्टर भरतपुर दिनांक 28.11.2022 उनवान भंवर सिंह बनाम बृजेन्द्र सिंह मु0न0 04/18

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर एडवोकेट उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित एवं मोहन सिंह राणा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक :– 07.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 28.11.2022 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी पुश्तैनी जायदाद है जो चिरंजी से बृजेन्द्र सिंह के नाम आई है। उक्त विवादित आराजी में से प्रार्थी/रैस्पो0 स्वयं को 1/6 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। विक्रय पत्र दिनांक 26.09.2019 कूटरचित एवं बनावटी है जो गैर सायलान ने बिना अधिकार निष्पादित कराया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी अपीलाण्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। विवादित आराजी पर स्थगन होने से विरासत का दाखिला खारिज नहीं हो पा रहा है। बृजेन्द्र सिंह की मृत्यु पश्चात् सभी वारिसान को विवादित आराजी में कानूनन हिस्सा मिलेगा। दावे में क्या अधिकार एवं कितना हिस्सा तय होना है। यह प्रश्न अब रहा ही नहीं। बृजेन्द्र सिंह ने केवल अपने हिस्से तक ही बेचान किया है। वारिसान के पक्ष में नामान्तकरण होने के पश्चात् बेचान नहीं करेगें ऐसा आदेश चाहे तो हो सकता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र 212 के तीनों घटको की कोई विवेचना अपीलाधीन आदेश में नहीं की है। रैस्पो0 को अपने हिस्से से अधिक आराजी नहीं मिल सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 संख्या 01 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अपीलाण्ट की सारी आपत्तियॉ निराधार हैं। पहले दावे में हिस्से तय होगें। तत्पश्चात् ही विरासत का दाखिला खुल सकता है। रैस्पो0 ने अपने पिता के जीवनकाल में ही दावा किया। दावे से पहले ही बृजेन्द्र सिंह ने विवादित आराजी को विक्रय कर दिया। बहनो को शामिल करके 9 हिस्से होगें। बृजेन्द्र सिंह ने 1/9 को बेचान किया, मृत्यु के बाद 1/9 के 9 हिस्से होगें। मॉ की भी मृत्यु हो चुकी है तो अब वर्तमान में 1/8 हिस्सा होगा। विवादित आराजी

पैतृक सम्पत्ति है। इसलिये पहले हिस्से तय होना आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. रैस्पो0 संख्या 02 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी उन्होनें मृतक बृजेन्द्र से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। अतः रैस्पो0 संख्या 02 सद्भावी क्रेता है। बृजेन्द्र ने अपने हिस्से से अधिक आराजी का विक्रय नहीं किया है। वयनामा को सिविल कोर्ट में रैस्पो0 संख्या 01 ने चुनौती दी है। वयनामा तक स्थगन खारिज किया जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2071–74 में विवादित आराजी अपीलाण्ट व रैस्पो0 के पिता बृजेन्द्र सिंह पुत्र चिरंजी के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं बृजेन्द्र सिंह की मृत्यु दौराने दावा हो चुकी है। प्रार्थी/रैस्पो0 संख्या 01 भँवर सिंह, विवादित आराजी में से 1/6 हिस्सा पर खातेदारी अधिकारो का दावा करते हैं। अप्रार्थी/अपीलाण्ट इसका खण्डन करते हुये, विवादित आराजी में उनका 1/9 हिस्सा होना कथन करते हैं। उक्त तथ्य मूल दावे में विस्तृत साक्ष्य विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य से तय होने वाला बिन्दु है। जहॉ तक प्रश्न रैस्पो0 संख्या 02 हजारीलाल के वयमाना को लेकर खातेदारी का है यह तथ्य भी दावा में विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त मृतक बृजेन्द्र सिंह के वारिसो के हिस्से तय होने के पश्चात ही तय हो सकता है। फिलहाल प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय हम पाते हैं कि; दौराने वाद विवादित भूमि को सुरक्षित रखने एवं वादकरण की जटिलता व बहुलता से बचने के लिए अधनीस्थ न्यायालय द्वारा पारित स्थगन निरापद है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2022 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

07-12-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर